



प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगाइर्स, उOप्रO,
लखनऊ।

होमगाइर्स अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 06-02-2026

विषय- होमगाइर्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगाइर्स अधिकारियों की सेवाकाल में मृत्यु/स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगाइर्स स्वयंसेवक के पद पर एनरोल किये जाने हेतु ऊँचाई में 02 से0मी0 की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6834/कार्मिक/विधि-231/2022, दिनांक 25.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि मृतक आश्रित के रूप में होमगाइर्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु आश्रित की ऊँचाई में पुलिस की भांति 02 से0मी0 की छूट प्रदान किये जाने के संबंध में माO उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-12975/2022 पवन कुमार सिंह व 05 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में माO उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08.04.2025 को सुनवाई के उपरांत आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

“38. In view of the above, writ petition succeeds and is allowed. A writ of mandamus is issued to the respondents to provide benefit of relaxation of 2 cms in height to the candidates, namely the petitioners, who are seeking compassionate appointment in home guard service borrowing the principle of relaxation from Clause 4(1) of the Government order dated 24th November, 2015 meant for compassionate appointment of the dependents of the employees of police department.

39. State Government is also directed to incorporate similar relaxation up to 2 cms in height at par with Clause 4(1) of the Government order dated 24th November, 2015 that is provided for the purposes of compassionate appointment in home guard service and so long as the Government order is not issued similar relaxation would continue to be provided to the dependents seeking compassionate appointment in home guard service.”

3- माO उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक 08.04.2025 के आलोक में प्रकरण का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

के आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सेवायोजन के संबंध में शारीरिक मानक की अर्हता में पुलिस विभाग द्वारा न्यूनतम ऊँचाई में 02 से0मी0 का छूट प्रदान किया जाता है।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग द्वारा प्रचलित छूट के दृष्टिगत समता (Parity) के सिद्धान्त के आधार पर सम्यक विचारोपरांत होमगाइर्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगाइर्स अधिकारियों की सेवाकाल में मृत्यु/स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगाइर्स स्वयंसेवक के पद पर एनरोल किये जाने हेतु आश्रित अभ्यर्थियों (पुरुष/महिला) को निर्धारित न्यूनतम ऊँचाई में पुलिस विभाग के समान 02 से0मी0 की छूट प्रदान किया जाता है।

कृपया तदुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

राजेश कुमार सिंह

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त उप महासमादेष्टा, होमगाइर्स, 30प्र0, लखनऊ।
- (2) समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगाइर्स, 30प्र0।
- (3) समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगाइर्स, 30प्र0।
- (4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कैलाश नाथ राम

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।